ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. NO.- 365-370**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

1. डॉ0 पी0 के0 बंसल
2. डॉ0 संजीव गुप्ता
3. सुधीर कुमार शर्मा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आँकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण

1. पर्यवेक्षक– प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग) शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, 2. सह–पर्यवेक्षक– प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग) शासकीय श्यामलाल पांडवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 3. शोध अध्येता, ग्वालियर (म0प्र0) भारत

Received- 08.12. 2021, Revised- 10.12. 2021, Accepted - 16.12.2021 E-mail: aaryvart2013@gmail.com

सारांश: ***आज यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कृषि प्रगति और ग्रामीण विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत जैसे कृशि प्रधान देश में कृषि विकास के बिना ग्रामीण उत्थान की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दो–तिहाई से अधिक आबादी निवास करती है और अधिकांश लोगों की आजीविका का आधार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृशि से संबंधित है। यही कारण है कि सरकारी नीतियों में कृषि के विकास के जरिए ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार पर अधिक समय से ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा अपने गत वर्षों के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र को काफी प्राथमिकता दी गई है। कृषि एवं कृषि फसलों के विकास से जुड़े तमाम नई योजनाएं भी इसी क्रम में अस्तित्व में आई हैं। कृषि फसलों के जोखिमों को देखते हुए भारत सरकार ने एक नये प्रकार की योजना शुरू की है, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप मे क्रियान्वयन किया गया है, जिससे कृषि फसलों में होने वाले सभी जोखिमों से बचाया जा सकता हैं। इस फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देष्य कृषि मे होने वाले जोखिमों को कम करना एवं कृषि बीमा योजना से फसलों के नुकसान होने पर कृषकों को पूरा मुआवजा दिलवाना है।***

कुंजीभूत शब्द– कृषि विकास, ग्रामीण उत्थान, आबादी, निवास, आजीविका, अप्रत्यक्ष रूप, सरकारी नीतियों।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मे भुगतान की जाने वाली बीमा प्रीमियम की दरों को किसानों की सुविधा के लिए बहुत कम रखा गया है, जिससे सभी स्तर के किसान आसानी से बीमा राशि का भुगतान करके फसल बीमा योजना का लाभ ले सकें। इस योजना को आने वाले खरीफ मौसम के फसलों से इसकी शुरूआत किया जाएगा और सरकारी सब्सिडी पर कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं करना है। इस योजना मे राज्य और केन्द्र सरकार के बीच बराबर के हिस्सों मे बाँटा जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.एआ.ई.एस.) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एम.एन.ए.आई.एस.) का स्थान लेती है। इस योजना मे बीमा प्रीमियम की दर एन.एआ.ई.एस. और (एम.एन.ए.आई.एस. दोनों बीमा योजनाओं से बहुत कम रखा गया है। मानवीय गलतियों से निर्मित आपदाओं जैसेः आग लगना, चोरी होना और सेंध लगना आदि को इस योजना के आच्छादन के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जाता है। यह फसल बीमा योजना ''एक राष्ट्र एक योजना'' के विषय पर आधारित है। यह योजना सभी पूर्ववर्ती योजनाओं की सभी अच्छाइयों को शामिल करते हुए उन योजनाओं की कमियों और बुराईयों को दूर करती है।

पी.एम.एफ.बी.वाई. का उदेश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होने वाली फसलों के क्षति से पीड़ित किसानों को –

(क) वित्तीय सहायता के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सुरक्षा के साथ फसलों के उत्पादन का समर्थन करना है।

(ख) किसानों की आय का स्थिरीकरण करना, ताकि खेती में निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

(ग) किसानों को नवीनीकरण और आधुनिक कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए।

(घ) कृषि क्षेत्र मे ऋण सुनिश्चित करना, जिससे किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने के अलावा खाद्य सुरक्षा, फसल विभिन्नता, विकास एवं वृद्धि और कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान मिल सके।

उद्देश्य–

1. कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को प्राप्त होने वाली बीमाकृत राशि पर ध्यान आकर्षित करना।
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को होने वाले लाभ का अध्ययन करना।

शोध विधि–

समंकों का संपादन, संकेतीकरण, वर्गीकरण एवं सारणीयन –

(1) समंको का संपादन – शोधार्थी द्वारा किये जा रहे शोध कार्य में समंको के संकलन में दोनों तरह के श्रोतों प्राथमिक श्रोत – सर्वेक्षण, प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन एवं द्वितीयक श्रोत–सर्वेक्षण रिपोर्ट, प्रतिवेदन, शोध ग्रंथ पत्र, पत्रिकाओं का उपयोग किया गया है। शोधार्थी ने समंकों के संकलन में काफी सावधानी रखी और गलतियों को नगण्य करने का यथाशक्ति प्रयास किया लेकिन यदि समंकों के संकलन के दौरान कोई गलती या लापरवाही शोधार्थी द्वारा या द्वितीयक समंकों में पहले से भी रही होगी तो शोधार्थी द्वारा उन गलतियों को दूर करने का सार्थक प्रयास किया।

समंको की विश्वसनीयता से शोधार्थी ने किसी भी प्रकार की छेड़खानी नही की है। जिससे की निष्कर्ष प्राप्त करने में भ्रम

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

की दशा निर्मित हो। प्राप्त तथ्यों में एक रूपता एक समानता रखी गयी है ये तथ्य तुलना के योग्य हैं। इन आंकडों मे कोई हेरा–फेरी नही की गयी है।

(2) समंको का संकेतीकरण – शोधार्थी द्वारा किये जा रहे शोधकार्य हेतु संकलित किये गये प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको के संकलन करने के उपरांत इनकों संक्षिप्त बनाने के लिए संकेतीकरण पद्धति का प्रयोग किया गया है। और समंकों का संकेतीकरण की प्रक्रिया इसलिए भी अपनायी जाती है। जिससे की किसी द्वारा इन आंकडों का दुरूपयोग किया न जा सके।

(3) समंकों का वर्गीकरण – वर्गीकरण में समंकों या आंकडों को उनके गुणों के आधार पर उनकों उनके वर्गों में बांटने की क्रिया होती है जिससे शोधकार्य के लिए आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सके। वर्गीकरण के लिए शोधार्थी ने प्रश्नावली के प्रश्नों को अलग–अलग खंडों में बांटकर उनकों सारणी योग्य बनाया है। एवं इसी प्रकार से अनुसूची के प्रश्नों को भी अलग वर्गों में बांटकर सारणी में उपयोग योग्य बनाया है। इसके अलावा संकलित किये गये समंक को उनके समान गुणों के आधार पर अलग–अलग वर्गों में बांटा गया है और वर्गीकरण इस क्रिया के आधार पर किया गया है कि समंक सजातीय रूप में हों, जिससे की आसानी से तथ्यों की तुलना की जा सके।

आँकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण

तालिका क्र. 1

सर्वेक्षण के अनुसार अनुसार किसानों की उम्र

वर्ग	किसानों की संख्या	किसानों का प्रतिशत
35 से कम	32	14.22
35–45	75	33.33
45–55	53	23.56
55–65	37	16.44
65 से अधिक	28	12.45
योग	225	100.00

उपरोक्त दिये गये टेबल में किए गए धरातलीय भ्रमण करके आवश्यक आंकडों को एकत्रित किया गया है, इसमें टेबल में किसानों का उम्र के अनुसार अलग–अलग वर्ग के किसानों की संख्या तथा उनको शतांश में दर्शाया गया है। दिये गये टेबल के अनुसार 35 से 45 उम्र के किसान संख्या ज्यादा है यह संपूर्ण किसानों की संख्या का 33.33% है। 35 से कम उम्र के किसान की संख्या 32 है जो कि कुल किसानों की संख्या का 14.22% है। इसी तरह से टेबल में दिये गये आंकडों के अनुसार 45 से 55 साल के बीच के किसानों की संख्या 53 है जो किसानों की कुल संख्या का 16.44% है। सर्वेक्षण के दौरान 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के किसानों की संख्या 28 है जो कुल किसानों की संख्या का 12.45 फीसदी है।

तालिका क्र. 2

क्या यह योजना व्यवहारिक है?

क्र.	उत्तर	किसान	प्रतिशत
1.	हां में	195	86.67
2.	न में	30	13.33
कुल		225	100

उपरोक्त दी गयी टेबल एवं दंडआरेख के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि किसानों के यह योजना व्यवहारिक है कि नही जिसमें कुल 225 किसानों में से 195 किसानों ने हां में उत्तर दिया एवं 30 किसानों ने न में उत्तर दिया।

तालिका क्र. 3

क्या इस योजना को संचालित करने वाले कर्मचारी व्यवहारिक हैं

क्र.	उत्तर	किसान	प्रतिशत
1.	बहुत अच्छा है	95	42.22
2.	अच्दा है	115	51.11
3.	बहुत अच्छा नही है	10	4.44
4.	खराब है	5	2.22
कुल योग		225	225

दी गयी सारणी एवं चार्ट के आधार पर व्यवहारिकता में कुल 225 किसानों में से 95 किसानों ने इस बहुत अच्छा, 115

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

किसानों ने अच्छा, 10 किसानों ने मध्यम तथा मात्र 5 किसानों ने खराब बताया है।

तालिका क्र. 4

क्या हुए नुकसान की भरपाई समय पर होती है?

क्र.	उत्तर	किसान	प्रतिशत
1.	होती है	135	60.00
2.	नहीं होती है	90	40.00
	योग	225	100.00

दी गयी सारणी एवं चार्ट के आधार पर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई में कुल 225 किसानों में से 135 किसानों ने हां में एवं 90 किसानों ने न में उत्तर दिया है।

तालिका क्र. 5

इस योजना में क्लेम प्रदान करने की प्रक्रिया किस प्रकार की है?

क्र.	उत्तर	किसान	प्रतिशत
1.	अच्छी है	151	67.11
2.	मध्यम स्तर की है	69	30.67
3.	ठीक नही है	5	2.22
कुल योग		225	100

दी गयी सारणी एवं चार्ट के आधार पर कुल 225 किसानों में से 151 किसानों ने क्लेम प्रदान प्रक्रिया को अच्छा माना है 69 ने मध्यम माना है 5 ने उपयुक्त नहीं माना है।

तालिका क्र. 6

सिंचाई के पर्याप्त साधन है?

क्र.	उत्तर	किसान	प्रतिशत
1.	हां में	105	46.67
2.	न में	120	53.33
कुल योग		225	100

दी गयी सारणी एवं चार्ट के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कुल 225 किसानों में से 105 किसानों के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं एवं 120 किसानों के पास सिंचाई के साधन नहीं हैं।

तालिका क्र. 7

किसानों के द्वारा कृषकीय कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया एरिया

क्र.	श्रेणी (हे.)	किसानों की संख्या	किसानों का प्रतिशत
1.	5–15	137	60.89
2.	15–25	39	17.33
3.	25–35	24	10.67
4.	35–45	22	9.78
5.	45–55	3	1.33
कुल		225	100

दी गयी सारणी एवं चार्ट के आधार पर कृषकीय कार्य हेतु उपयोग में लाया गया भूमि के रकबे पर कुल 225 किसानों में से 137 किसानों के पास 5–15 भाग, 39 किसानों के पास 15–25 भाग, 24 किसानों के पास 25–35, 22 किसानों के पास 35–45 तथा 3 किसानों के पास 45–55 भाग उपलब्ध है।

तलिका क्र. 8

वित्तीय संस्थानों से कर्ज प्राप्त करते हैं

क्र.	उत्तर	किसान	प्रतिशत
1.	हाँ	88	39.11
2.	नहीं	137	60.89
	कुल	225	100.00

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

दी गयी सारणी एवं चार्ट के आधार पर स्पष्ट होता है कि वित्तीय संस्थानों से कर्ज प्राप्त किसानों में कुल 225 किसानों में से 88 ने हां में और 137 किसानों ने न में उत्तर दिया। ऊपर दी गई टेबल एवं दंड आरेख के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय संस्थानों द्वारा कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या 88 है, जो कि कुल 225 किसानों का 39.11% है तथा वित्तीय संस्थानों से कर्ज न प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या 137 है जो कि कुल किसानों का 60.89% है।

तालिका क्र. 9
इस योजना में सम्मिलित हैं

क्र.	उत्तर	किसान	प्रतिशत
1.	हाँ	105	46.67
2.	नहीं	120	53.33
कुल		225	200

दी गयी सारणी एवं चार्ट के आधार पर स्पष्ट होता है कि योजना में षामिल कुल 225 किसानों में से 105 किसानों ने हां और 120 किसानों ने न में उत्तर दिया।

तालिका क्र. 10
सीजन के आधार पर उत्पादित फसल

क्र.	सीजन	किसान	प्रतिशत
1.	रबी सीजन	37	16.44
2.	खरीफ सीजन	63	28.00
3.	दोनों सीजन	125	55.56
कुल		225	100

दी गयी सारणी एवं चार्ट के आधार पर रबी सीजन में 37 किसान एवं खरीफ सीजन में 63 किसान तथा दोनों सीजन में 125 किसान फसलों का उत्पादन करते हैं।

तालिका क्र. 11
इस योजना से लाभान्वित है?

क्र.	उत्तर	किसान	प्रतिशत
1.	हाँ में	93	41.33
2.	न में	132	58.67
कुल		225	100

दी गयी सारणी एवं चार्ट के आधार पर स्पष्ट होता है कि इस योजना से लाभान्वित 225 किसानों में से 93 किसानों ने हां में और 132 किसानों ने न में उत्तर दिया।

तालिका क्र. 12
इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं?

क्र.	उत्तर	किसान	प्रतिशत
1.	हाँ	165	73.33
2.	नहीं	60	26.67
कुल		225	100

दी गयी सारणी एवं चार्ट के आधार पर स्पष्ट होता है कि इस योजना के बारे में जानकारी के लिए 225 किसानों में से 165 किसानों ने हां में और 60 किसानों ने न में उत्तर दिया।

तालिका क्र. 13
यह योजना किस प्रकार की है?

क्र.	उत्तर	किसान	प्रतिशत
1.	अच्छी है	117	52.00
2.	मध्य स्तरीय है	93	41.33
3.	अच्छी नहीं	15	6.67
कुल		225	100

उपरोक्त दी गयी सारणी एवं चार्ट के आधार पर स्पष्ट होता है कि यह योजना किस प्रकार की है के प्रतिउत्तर में कुल 225 किसानों में से 117 किसानों ने अच्छी और 93 ने मध्यम तथा 15 ने अच्छी नहीं माना है।

तालिका क्र. 14
आने वाले समय में भी इस बीमा योजना में सम्मिलित होगें

क्र.	उत्तर	किसान	प्रतिशत
1.	हाँ में	210	93.33
2.	न में	15	6.67
कुल		225	100

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

दी गयी सारणी एवं चार्ट के आधार पर स्पष्ट होता है कि इस योजना में भविष्य में शामिल होने के बारे में जानकारी के लिए 225 किसानों में से 210 किसानों ने हां में और 15 ने न में उत्तर दिया।

तालिका क्र. 15

कृषकीय कार्यों में व्याप्त रिस्क

श्रेणी	किसानों की संख्या	किसानों का प्रतिशत
कम रिस्क	34	15.11
ज्यादा स्तर का रिस्क	76	33.78
बहुत ज्यादा स्तर का	115	51.11
कुल	225	100.00

दी गयी सारणी एवं चार्ट के आधार पर स्पष्ट होता है कि कृषकीय कार्यों में व्याप्त रिस्क के प्रतिउत्तर में 34 किसानों ने कम रिस्क, 76 किसानों ने मध्यम तथा 115 किसानों ने बहुत ज्यादा रिस्क बताया है।

तालिका नं 16

क्या हुए नुकसान की भरपाई में मिडिएटरों का रोल है

क्र.	उत्तर	किसान	प्रतिशत
1.	हाँ में	0	0.00
2.	न में	225	100.00
	कुल	225	100.00

दी गयी सारणी के आधार पर स्पष्ट होता है कि हुये नुकसान की भरपाई में मिडिएटरों का रोल है कि नहीं के प्रतिउत्तर में हां में किसी किसान ने उत्तर नहीं दिया न में 225 किसानों ने उत्तर दिया।

उपकल्पनाओं का मूल्यांकन – प्राकल्पना या उपकल्पना किसी भी अनुसंधान कार्य का एक महत्वपूर्ण चरण होती हैं। इनके माध्यम से ही शोधार्थी शोध विषय के अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा उस विषय से जुडे हुए तथ्यों को प्रकाश रुपी ज्ञान के रूप में उभारता है। इन्हीं उपकल्पनाओं के माध्यम से उसे विषय की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। जिसकी वजह से शोधार्थी अपनी शोध की रूपरेखा तैयार करता है। शोध की प्रासंगिकता के आधार पर शोध उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है तथा इनका निर्धारण भी इसी रूप में होता है। ये एक या एक से ज्यादा भी बनाई जा सकती है लिये गये शोध कार्य की आधारिक उपकल्पना इस प्रकार थी कि "कृषकीय कार्यों में बहुत ज्यादा मात्रा में रिस्क रहता है अतः इसका बीमा किये जाने की जरूरत है एवं शासन की ओर से चलाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कृषकीय कार्यों में व्याप्त रिस्क को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है तथा यह कृषि उपयोगी योजना है।"

लिये गये शोध विषय की यथार्थता हेतु शोध कार्य में अधिकांशतः सेकेण्ड्री डाटा को प्रयोग में लाया गया है। शोध की यथार्थता तथा उपकल्पनाओं के परीक्षण हेतु चिन्हित किये गये परिक्षेत्रों का धरातलीय सर्वेक्षण, परिभ्रमण, निरीक्षण तथा किसानों से व्यक्तिगत रूप से संवाद करके, आवश्यक प्रश्नों का उत्तर प्रपत्र में प्राप्त करके प्रारंभिक आंकड़ों का संकलन किया, इसके उपरांत संकलित समस्त आंकड़ों को सांख्यकीय विधियों के द्वारा वर्गीकृत, सारणीकृत तथा विश्लेषित करने के उपरांत उपकल्पनाओं का मूल्यांकन तथा मुख्य निष्कर्ष निकाला गया है जो क्रमशः है–

– यदि कृषकीय कार्यों में रिस्क को देखा जाय तो धरातलीय भ्रमण के दौरान 225 किसानों से संवाद स्थापित करके प्राप्त आंकड़ों में 15.11 फीसदी किसान कृषि को कम रिस्क वाला कार्य मानते है। 33.78 फीसदी किसान इसे ज्यादा स्तर का रिस्क भरा कार्य माना है, इसी प्रकार से 51.11 फीसदी किसान ने इसे बहुत ज्यादा स्तर का रिस्क भरा कार्य माना है। इस तरह से शोध विषय की बनाई गई उपलकल्पना कि कृषकीय कार्यों में बहुत ज्यादा रिस्क है मूल्यांकन के बाद पूर्णतः सही है। इन रिस्क में कमी लाने हेतु इसका बीमा करने की जरूरत है।

– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि बीमा के विषय में एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना एक व्यवहारिक योजना है, परंतु इसमें और ज्यादा किसानों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शुरूआत में योजना हेतु क्षेत्रों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता राज्यों के ऊपर थी, जिसकी वजह प्रत्येक राज्य में प्रत्येक क्षेत्र ईकाई के स्वरूप में विसंगतियां थी। क्षेत्र का आकार जितना कम होगा उतने ज्यादा वहां के किसान लाभांवित होगें। इन चयनित क्षेत्र इकाईयों को चयनित फसल की कटाई के वर्ष के आधार पर चयन किया जाता है। इस प्रणाली से किसान असहमत हैं।

– अधिकांश किसानों का यह मानना है कि इस योजना में बीमें की अधिशुल्क की राशि ज्यादा है। इसकी वजह से किसान इस योजना में शामिल होने हेतु अपने आप को असहज महसूस करते हैं। इस शुल्क की राशि को किसानों की अपेक्षाओं के रूप में कुछ घटाकर किसानों को योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

– निर्धारित की गई कृषि उपजों का चयन पूर्व के सालों की फसलों की कटाइयों के प्रयोग संख्या के आधार पर होता है। इसकी वजह से मात्र पारम्परिक रूप से की जाने वाली कृषि लाभांवित हो पाती है। तथा कृषि उपजों में बदलाव या फिर वाणिज्यिक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

कृषि करने के दौरान इस योजना से किसान लाभांवित नही हो पाते। इसके लिए इस कृषि उपज के चयन की यह प्रणाली उपयुक्त नही है इसमें सुधार की जरूरत है।

– हुए नुकसान के क्लेम पर भरपाई की राशि को दिये गये कर्ज से समायोजन करने की व्यवस्था है। जिसकी वजह से किसान आगे फिर आसानी से कर्ज प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। परंतु कृषि उपजों में हुए नुकसान की वजह से किसानों के समक्ष जीवन यापन की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः हुए उपज नुकसान में क्लेम पर भरपाई हेतु एक ऐसी प्रणाली बनाई जाने की जरूरत है जिसके वजह से किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।

– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हेतु बहुत ही उपयोगी तथा मददगार नीति है। परंतु जरूरत इसकी है कि इससे ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में किसान जुडे और लाभांवित हों।

– सरकारों की ओर से चयनित किए गए कृषि परिक्षेत्रों में हुए नुकसान की भरपाई निर्धारित पूरे कृषि परिक्षेत्र में होने वाले कृषि उपजों के नुकसान के आधार पर निर्धारित होता है। इसमें किसी एक किसान या थोडे किसानों को विशिष्ट वजह से हुए नुकसान को शामिल नही किया जाता। अतः किसानों को होने वाले सामान्य नुकसान की तो भरपाई हो जाती है परंतु विशिष्ट नुकसानों की भरपाई नही हो पाती है जिसकी वजह से किसान इस नीति में शामिल होने से कतराते हैं।

– इस बीमा योजना का विज्ञापन सही तरीके से न होने के कारण आज भी कई किसान इससे अनभिज्ञ है, और इसका लाभ नहीं ले पा रहे है।

– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक किसान जन उपयोगी योजना है, इसकी कार्यपद्धति सहज है, लेकिन इसको किसानों तक पहुचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसमें शामिल करने के लिए इसको और जन उपयोगी एवं व्यावहारिक बनाने हेतु भारत सरकार राज्य सरकारों एवं प्रमुख अभिकरणों द्वारा यथार्थपूर्ण कदम नही उठाए गए इस योजना के मुख्य उददेश्य की प्रतिपूर्ति हेतु अभी और कार्य किए जाने की जरूरत है।

निष्कर्ष–

– सीजन के आधार पर यदि किसानों का इसमें झुकाव देखा जाये तो रबी सीजनकी अपेक्षा खरीफ सीजन में किसानों का झुकाव कम रहता है।

– दोनो सीजन में किसानों को प्राप्त होने वाली नुकसान की भरपाई की राशि तथा लाभ प्राप्त किसानों की संख्या में धनात्मकता है।

– इसमें शामिल कर्ज प्राप्त किसानों की अपेक्षा कर्ज न लेने वाले किसानों का अनुपात देखा जाये इनकी संख्या न के बराबर है, अतः एक बार फिर से स्पष्ट होता है कि यह केवल कर्ज प्राप्त किसानों के माध्यम से संचालित हो रही हैं।

– इसमें हुए नुकसान की भरपाई की अपेक्षा अधिशुल्क संकलन कम है। जिससे संबंधित अभिकरणों को नुकसान वहन करना पडता हैं इस वजह से अभिकरण योजना को सुचारू रूप से चलाने में कतराते हैं।

अतः यह स्पष्ट है कि कृषि क्रियाओं में व्याप्त रिस्क को कम करने में यह योजना काफी हर तक सहायक सिद्ध हुई, कर्ज प्राप्त किसानों को इससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फायदा पहुंचा है। परंतु इसको प्रचारित करने में शासन प्रशासन की ओर से तथा संबंधित कर्मियों की ओरसे कोताही बरती गई जिसके कारण कर्ज प्राप्त किसान ही इसमें शामिल हुए, कर्ज न लेने वाले किसान इससे दूर हैं। ज्यादातर किसान इसमें खुश हैं संबंधित व्यक्तियों के सहयोग एवं कार्यकुशलता से प्रसन्न है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. तिवारी आर.सी. कृषि भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद 2010 पृष्ठ क्र. 116.
2. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, ग्वालियर 2012 पृष्ठ क्र 26.
3. वही।
4. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, ग्वालियर 2012 पृष्ठ क्र 27.
5. Ministry of Agriculture and farmers Welfare Government India annual report 2018-19. www.wap.co.in
6. India waterportal.org.
7. Pradhanmantri fasal Bima Yojana: An assessment of India's Crop Insurance Scheme O R F Issues Brief No. 296, May 2019, Observer Research Foundation..

*****